न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।

सत्र वाद संख्या–79/2021

राज्य बनाम आकिल आदि

मु0अ0सं0–205/2019

अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0

थाना देवबंद, जिला सहारनपुर।

<u>आरोप</u>

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद, जिला सहारनपुर आप अभियुक्तगण आकिल व आबिद को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ–

यह कि दिनांक 28.02.2019 को समय 22:15 बजे स्थान कासिमपुरा फाटक के पास अन्तर्गत थाना सीमा देवबंद जिला सहारनपुर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में हाथ में लिए तमंचों से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किये। यह कृत्य आपने इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में किया कि यदि किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 307/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोप की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 01.04.2024

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः 01.04.2024

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर।